ANNUAL REPORT OF HINDUSTAN SALTS LIMITED AND REVIEW THEREOF

Shri Bibudhendra Misra: I beg to lay on the Table a copy each of the following papers:—

(i) Annual Report of the Hindustan Salts Limited, Jaipur, for the year 1962-63, along with the Audited Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor-General thereon, under sub-section (1) of section 619A of the Companies Act, 1956.

(ii) Review by the Government on the working of the above company.

[Placed in Library, *See* No. LT-3087/64].

12.18 hrs.

ESTIMATES COMMITTEE

SIXTY-FOURTH REPORT

Shri A. C. Guha (Barasat): I beg to present the sixty-fourth Report of the Estimates Committee on action taken by Government on the recommendations contained in the Hundred and sixty-fifth Report of the Estimates Committee (Second Lok Sabha) on the erstwhile Ministry of Commerce and Industry—Office of the Textile Commissioner—Part IV—Art Silk Industry.

12.18½ hrs.

GOLD (CONTROL) BILL

(i) REPORT OF JOINT COMMITTEE

Shri Krishnamoorthy Rao (Shimoga): I beg to present the Report of the Joint Committee on the Bill to provide, in the economic and financial interests of the community, for the control of the production, supply, distribution, use and possession of, and business in, gold and ornaments and other articles of gold and for matters connected therewith.

(ii) EVIDENCE BEFORE JOINT COMMITTEE

Shri Krishnamoorthy Rao: I beg to lay on the Table a copy of the evidence given before the Joint Committee on the Bill, to provide, in the economic and financial interests of the community, for the control of the production, supply and distribution, use and possession of, and business in, gold and ornaments and other articles of gold and for matters connected therewith.

12.20 hrs.

BUSINESS OF THE HOUSE

The Minister of Communications and Parliamentary Affairs (Shri Satya Narayan Sinha): With your permission, Sir, I rise to announce that Government business in this House for the week commencing Monday, 14th September 1964, will consist of:

(1) Further discussion on motion of No-confidence in the Council of Ministers;

(2) Consideration and passing of the Companies (Amendment) Bill, 1964;

(3) Discussion and voting on the Supplementary Demands for Grants (General) for 1964-65; and

(4) Consideration and passing of:

The High Court Judges (Conditions of Service) Amendment Bill, 1964, and

The Legal Tender (Inscribed Notes) Bill, 1964.

डा० राम मनोहर लोहिया (फरुखाबाद) : अध्यक्ष महोदय, मुझे लोक सभा की अवधि के बारे में कुछ कहने की इजाजत दीजिये। सब से पहली बात तो यह कि पिछली बार सत्र पांच हफ्ते का हुआ था और अब की बार यह चार हफ्ते का हो रहा है। शायद चार भी नहीं। संसद् कार्य मंत्री शायद यह कहें कि पिछली दफे एक विशेष अधिवेशन हो गया था। तो मेरा जवाब होगा कि वह विशेष अधिवेशन सरकारी काम के लिये था और इस तरह से सारी जनता का काम कम नहीं हो जाना चाहिये।

इस के अलावा में आप से अर्ज करूंगा कि लोक सभा पूरी तरह से ज्यादा बैठनी चाहिये। केवल तुलना में ही नहीं कि पिछले साल क्या हुआ। वैसे भी ज्यादा बैठना चाहिये। इस का कारण यह है कि रोज बरोज ऐसे बहुत से सवाल आते रहते हैं और कभी कभी तो ऐसे कि दम घुटने लग जाता है। आखिर हमारे संविधान में जमीर की आजादी, आत्मा की आजादी तो एक बहुत बड़ा अधिकार है। अगर हम जनता के प्रतिनिधि भी अपनी आत्मा की आवाज यहां नहीं कह सकते लोक सभा के काम की अवधि कम होने के कारण, तो बड़ी दिक्कत हो जाया करती है। मैं आप के सामने एक बात और अर्ज करूं कि जिस लोक सभा की हम हमेशा नकल किया करते हैं उस की, और और देशों की मैं नजीर दे सकता हूं, यानी अंग्रेजों की लोक सभा जो है वहां रोज एक स्थगन प्रस्ताव हुआ करता है जिस को साधारण स्थगन प्रस्ताव कहते हैं। वहां पर आधे घण्टे की बहस होती है और हर सदस्य पांच मिनट बोलता है। अंग्रेजों का एक छोटा सा देश है। हिन्दुस्तान जसे बड़े देश में रोज एक साधारण स्थगन प्रस्ताव कम से कम एक घंटे का तो होना चाहिये। जिस में कि सदस्य लोग अपनी बात कह सकें (*Laughter*)। जब कोई बात गम्भीरता से कही जाती है तो उस को समझने की कोशिश की जानी चाहिये। मैं खास तौर से यह बात कम्यूनिस्टों से कहूंगा क्योंकि शायद उन को ऐसा लगता है कि इस में कोई हंसने की बात है।

Shri Daji (Indore): We were enjoying the translation.

डा० राम मनोहर लोहिया : एन्जायमेंट की बात तो छोड़ दीजिये। मैं इस बात को बढ़ाना नहीं चाहता, मैं केवल अपनी बात कह देता हूं। मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं अध्यक्ष महोदय की सलाह मान कर चारों तरफ न देखूं।

तो ऐसी सूरत में हमें मौका मिलना चाहिये कि हम अपनी बात कह सकें, खास तौर से जिस का संबंध आत्मा की आजादी से है। मैं यहां नहीं कह रहा हूं कि किन किन चीजों से दम घुटता है, लेकिन आप जानते हैं . . . .

अध्यक्ष महोदय : जहां तक इसे शिकायत का ताल्लुक है जब हम दूसरी बहस शुरू करेंगे तब वह कही जा सकती है। इस वक्त तो जो बिजिनेस चल रहा है उस के बारे में ही कहना चाहिये।

डा० राम मनोहर लोहिया : लोक सभा की अवधि . . . . . .

अध्यक्ष महोदय: यह तो माननीय सदस्य ने कह दिया, उस को दोहराने की जरूरत नहीं है।

डा० राम मनोहर लोहिया : मैं ने बिल्कुल दोहराया नहीं है। खाली नजीर दे रहा था कि किस तरह से दुनिया की लोक सभाओं में सदस्यों को अपनी आत्मा की बातों को पेश करने का मौका रोज ही मिलता रहता है। मैं यहां यह नहीं बतलाना चाहता कि यहां कितने रावणशाही के काम होते रहते हैं जिन से हम . . .

अध्यक्ष महोदय : वह बस माननीय सदस्य खत्म करें।

डा० राम मनोहर लोहिया : अध्यक्ष महोदय, मैं आप से लोक सभा के काम के बारे में अर्ज कर रहा हूं ....

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य को जो शिकायत थी कि लोक सभा की अवधि कम है उस की बात वे कहना चाहते थे, दूसरी बात इस समय नहीं हो सकती। उस बात को मैं ने माननीय सदस्य से सुन लिया। इस बारे में सारी दलीलों पर बहस तो हो नहीं सकती कि आया इस मसले पर बहस की जाये या नहीं। इस को तो हमें अलाहदा लेना पड़ेगा क्योंकि इस वक्त इस का फैसला नहीं हो सकेगा। मैंने माननीय सदस्य को यह प्वाइंट रेज करने के लिये अवसर दिया और उन्होंने उसे रेज कर लिया। मिनिस्टर साहब चाहेंगे तो इस का जवाब देंगे। अगर नहीं देंगे तो इसके लिये फिर मौका होगा। इस का फैसला तो अलाहदा ही हो सकता है। सारे रूल तो इस समय बदले नहीं जा सकते।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (बिजनौर) : लेकिन इस के लिये कोई अवसर जरूर दिया जाना चाहिये।

Shri Hari Vishnu Kamath (Hoshangabad): By your leave, I wish to raise three points.

Knowing as we do from experience how slowly the machinery of Government moves, I would like the Minister of Parliamentary Affairs to start thinking from now on as to how long this present session will last, because this food debate has taken four days, and the no-confidence motion will take another five days.

Mr. Speaker: It will last up to 3rd October.

Shri Hari Vishnu Kamath: I want to know whether it will be extended, because of this business intervening.

Mr. Speaker: I am told it is up to 3rd October.

Shri Hari Vishnu Kamath: Is it pucca?

Mr. Speaker: Next point.

Shri Hari Vishnu Kamath: The second point is that you yourself were pleased to say on the opening day, if I remember aright, that you were considering very seriously the allocation or the fixation of a lunch interval.

Mr. Speaker: I had convened a meeting, but because there could not be any unanimity, the present system would continue.

Shri Hari Vishnu Kamath: Lastly, I agree with my hon. friend Dr. Lohia that the Parliament sessions have shown an increasing tendency to decline in duration. During the last two years, sice 1962, I have drawn your attention to this unfortunate malady that has overtaken our parliamentary institution, and I have quoted statistics here in this House as to how long the session used to be. In the first Parliament, the Budget session once went up to 90 days or more, but I find now that the session is coming to 60 or 70 days. This session is only for 20 working days, four weeks, and the next session will also be for only four weeks. That is to say, this year Parliament will sit for less than six months. If I may remind you, the first Speaker, Mr. Mavalankar, said once when he was in the Chair that in his judgment, if Parliament was to be a mirror of the nation and reflect the will of the people, it should transact business for at least 7 to 7½ months in the year.

Shri S. M. Banerjee (Kanpur): I have three points about the business of the House.

The hon. Minister has just announced Government business for the next week. You are aware that the Bonus Commission's Report was laid on the Table of the House/some time in the last session, and there is a good deal

of controversy in the country, and there is agitation going on throughout the country. So, I would request the hon. Minister to find some time to discuss this most important report. It has been modified at the instance of the employers, and that is how it has become important. Government does not want to bring a motion, but there is a motion already admitted by you.

Secondly, the Mahalanobis Committee Report and the Santhanam Committee Report were also laid on the Table of the House. These two reports also should be discussed simultaneously in this House because they deal with concentration of wealth and corruption.

Thirdly, my attention has been drawn to a press news that a one man commission has been appointed by Government to deal with the question of dearness allowance and arbitration. You will remember that the Minister made an announcement in this House when the Pay Commission was appointed, and the hon. Finance Minister made a statement in the House. But now this commission has been appointed, and this House has not even been informed. So, this House has been treated most shabbily. The Finance Minister must make a statement and give us the terms of reference.

Shri H. N. Mukerjee (Calcutta Central): I wish to refer to a motion that has created considerable interest, namely that in regard to our performance at the Commonwealth Prime Ministers' Conference. I remember that on this matter there was some communication between some of us and the Prime Minister, and the Prime Minister himself had stated as Leader of the House that he had no objection at all to a full dress discussion of this matter which was of considerable importance. This morning I get the information that there is a bunch of motions given notice of by different Members, and out of that bunch I do not quite know how many are likely to be selected. That is to say, this motion in regard to the Commonwealth Prime Ministers' Conference has been shoved off into a whole bunch of other things, and the selection or not on that matter will depend upon what happens at a particular meeting this afternoon, but I want from Government an assurance, and since the Prime Minister himself had expressed a desire that this matter should be properly agitated in the House, Government might very well come forward with a motion themselves, so that we can discuss it without any difficulty.

श्री बागड़ी (हिसार) : अध्यक्ष महोदय . . . .

अध्यक्ष महोदय : अब रहने दीजिए। जो कहना था डाक्टर साहब ने कह दिया।

श्री बागड़ी: डाक्टर साहब की डाक्टर साहब जानें। मेरा तो केवल इतना निवेदन है कि जो पिछड़े वर्ग के बारे में रिपोर्ट है उस पर विचार किया जाए। उसके बारे में हर बार विश्वास दिलाया जाता है कि उस पर विचार किया जाएगा, लेकिन अभी तक उस पर विचार नहीं हो सका है। तो उस पर विचार किया जाए।

दूसरा मेरा यह कहना है कि बरतानिया जैसे छोटे देश में पार्लियामेंट 200 दिन बैठती है जब कि हिन्दुस्तान में, जो कि इतना बड़ा मुल्क है, केवल सौ या 120 दिन बैठती है।

श्री सत्य नारायण सिंह: अध्यक्ष महोदय, आज लोहिया जी ने जो सवाल उठाया है उसके संबंध में उन्होंने एक पत्र आपको लिखा था। आपने उस पत्र को मेरे पास भेजा। मैंने उसका सविस्तार जवाब दो पेज में लोहिया साहब के पास भेजा और उसके बाद उन से बातचीत भी हुई। जो कुछ मैं कहना चाहता हूं उसको मैंने अपने उस पत्र में भी लिखा है और स्वयं भी उनको समझाया है।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (बिजनौर): सदन को भी बतला दीजिए।

श्री सत्य नारायण सिंह: लेकिन डा० लोहिया ने कहा कि नहीं इस सवाल को सदन में उठाएंगे। आप जानते हैं कि इस बार जो आटम सेशन देर में बुलाया गया उसका कारण क्या है। पिछली बार जो एक सप्ताह का सेशन हुआ, उसके बाद आपने मुझ से कहा था कि इसके बाद तीन महीने से पहले अगला सेशन न बुलाया जाए क्योंकि जो यंत्र अंग्रेजी से हिन्दी अनुवाद के लिये लगाए जाने वाले हैं वे उससे पहले नहीं लग पाएंगे। अगर यह बात न होती तो सेशन को जल्दी बुलाया जा सकता था, कम से कम बीस या 25 रोज पहले बुलाया जा सकता था।

श्री स० मो० बनर्जी: और आगे बढ़ा दीजिए।

श्री रामेश्वरानन्द (करनाल): तो क्या यह उसका बदला लिया जा रहा है?

श्री सत्यनारायण सिंह: दोनों चीजें कैसे हो सकती हैं। उनके लिए खास तौर से यंत्र लगाया जाने वाला था।

अभी कहा गया कि इस सेशन को 3 तारीख के बाद भी बढ़ाया जा सकता है। लेकिन आप जानते है कि यह एक परम्परा चली आ रही है अंग्रेजों के समय से और जब से हमें स्वतन्त्रता मिली तब से हम ने भी इसको कायम रखा है, कि सिक्यूलर स्टेट होते हुए भी हम पूजा और क्रिसमस के दिनों में सेशन नहीं करते। तो हमें इस चीज का भी ख्याल रखना है।

श्री स० मो० बनर्जी: पूजा तो 11 तारीख से है। मैं ब्राह्मण हूं, मैं जानता हूं।

श्री सत्य नारायण सिंह: तो इस सेशन की कमी की पूर्ति करने के लिए हम चाहते हैं कि अगला सेशन कुछ जल्दी बुला लिया जाए। लेकिन इन दोनों के बीच में कम से कम चार सप्ताह का अन्तर तो रहना ही चाहिए। इतना न हो तो मुश्किल हो जाती है। अगर हम इस सेशन को देर तक करते हैं तो अगले सेशन को जल्दी नहीं बुला सकेंगे क्योंकि 23 तारीख के बाद हम नहीं बैठ सकते।

जहां तक लोक सभा के बैठने का सवाल है मैं कुछ आंकड़े आपके सामने रखना चाहता हूं। सन् 1961 में लोक सभा 102 दिन बैठी, सन् 1962 में 121 दिन के लिए बैठी और सन् 1964 में 117 दिन के लिए बैठी।

श्री हरि विष्णु कामत: सन् 1950, 51 और 52 के आंकड़े दीजिए। मेरे पास वे फिगर्स हैं।

श्री सत्य नारायण सिंह: पिछले सालों के फिगर भी करीब करीब ऐसे ही होंगे।

इस साल में हम 93 दिन बैठ चुके हैं और अगला सेशन अभी बाकी है। हम समझते हैं कि उसके बाद पिछले सालों जितने दिन ही हो जाएंगे, हो सकता है कि एक दो दिन कम ज्यादा हो। हिन्दुस्तान को छोड़ कर और किसी डिमाक्रेटिक देश में इतना समय जनता के लिए नहीं दिया जाता जितना हम बैठते हैं। हमने लोक सभा के कामों को तीन हिस्सों में बांट रखा है, 33 पर सेंट लेजिस्लेटिव वर्क, 33 पर सेंट फाइनेनशल वर्क और 33 पर सेंट अन्य। लेकिन यह समझा जाता है कि जैसे फाइनेनशल वर्क और लेजिस्लेटिव वर्क जनता का काम नहीं है। वह मेरी समझ में नहीं आता। यहां जितना काम होता है सब जनता की भलाई के लिए आता है, सरकार का जितना काम है जनता के लिए

(Interruptions)

डा० लोहिया ने आपको एक पत्र लिखा था और उसकी एक नकल मेरे पास भेजी है। उनका कहना है कि साल में 11 महीने पार्लियामेंट बिठायी जाए। मैं बड़े अदब से कहना चाहता हूं कि लोहिया साहब वो बड़े आदमी हैं, चाहे जहां से खड़े हो जाते हैं उनका कोई निर्वाचन क्षेत्र निश्चित नहीं है। लेकिन हर एक के लिए तो ऐसा करना सम्भव नहीं है, उसको अपने क्षेत्र को नर्स करना होता है। अगर 11 महीने यहां बैठे रहेंगे तो यह काम कब करेंगे। लोहिया साहब की बात और है लेकिन सब लोग तो ऐसा नहीं कर सकते। वह कभी बनारस से खड़े हो जाते हैं, कभी इलाहाबाद से कभी फर्रुखाबाद से।

एक बात और है। वह कहते हैं. . .

डा० राम मनोहर लोहिया : इलाहाबाद से खड़ा हो जाता तो मजा आ जाता।

श्री सत्य नारायण सिंह : चुनाव आने वाले हैं, हम भी मौजूद हैं आप भी हैं और इलाहाबाद भी है। (*Interruptions*)

एक बात शायद मेम्बरों के ध्यान में नहीं है कि जब सेशन नहीं होता तब काफी और काम होता है, सिलेक्ट कमेटियों की बैठकें होती हैं, एस्टीमेट्स कमेटी और पबलिक एकाऊंट्स कमेटीज की बैठकें होती हैं। इनमें पचासों सदस्य भाग लेते हैं। अगर इस बीच भी हाउस को चालू रखा जाए तो वे मेम्बर उन कमेटियों में या हाउस में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। इन सब बातों को सोच विचार कर आइन्दा सेशन को घटाना और बढ़ाना तै किया जा सकेगा।

रही बात बैकवर्ड क्लासेज कमीशन के बारे में—

श्री स० मो० बनर्जी : बोनस कमीशन।

श्री सत्य नारायण सिंह : अभी तक बैकवर्ड क्लासेज कमीशन के बारे में हमारे पास कोई नोटिस नहीं आया है, उसका उन्हें नोटिस देना होगा। अगर वह नोटिस दें और आप कबूल कर लें तो हम उसके लिए वक्त निकालेंगे।

एक माननीय सदस्य : क्या गवर्नमेंट अपने आप उसको नहीं ला सकती।

श्री सत्य नारायण सिंह : वक्त तो बहुत थोड़ा है, लेकिन कोशिश करेंगे कि उसके लिए कुछ समय निकाला जा सके।

बोनस कमीशन के बारे में सरकार सोच रही है कि इस के सम्बन्ध में कोई बिल लाया जाए।

एक सवाल और पूछा गया था. . .

श्री स० मो० बनर्जी : मैंने कहा था कि मोहालानोबिस कमेटी और संथानम कमेटी की रिपोर्टों पर साथ साथ विचार किया जाए क्योंकि दोनों का सम्बन्ध करप्शन को रोकने और कंसेन्ट्रेशन आफ वेल्थ को कम करने से है। इसके अलावा मैंने यह भी कहा था कि जो एस० के० दास वन [मैन कमीशन प्रधान मंत्री ने बिठवाया है उसके कोई टर्म्स आफ रेफरेंस तक नहीं दिए गए हैं।

श्री सत्य नारायण सिंह: इतने सब विषयों पर विचार किया जाएगा तो और काम के लिए समय ही नहीं

कामनवैल्थ का जहां तक सवाल है प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक लम्बा चौड़ा वक्तव्य उसके बारे में दिया और उस पर बहुत से सवाल भी पूछे गए।

[श्री सत्य नारायण सिंह]

इसके बाद भी हम सोचेंगे कि इसके बारे में और क्या किया जा सकता है। लेकिन हाउस को इस बारे में अनएवेयर तो नहीं रखा गया, स्टेटमेंट देकर पूरा मौका दिया गया, और चारों तरफ से लोगों ने सवाल करके अपने दिल का बुखार निकाला, और उन सवालों का जवाब दिया गया।

Shri S. M. Banerjee: I never wanted a statement on the Das Commission. I only wanted that just like that, the same terms of reference that the Government had announced for that Commission should have been announced in the case of the Dearness Allowance Commission on the floor of the House. At the least the Commission has been appointed. Shri Lal Bahadur Shastri knows it. I wanted that the announcement should have been made here, so that we could also have seen the terms of reference and tried to discuss them. That is my submission.

श्री रामेश्वरानन्द : अध्यक्ष महोदय, मेरा आप से निवेदन है कि जो कुछ होगा सो तो होगा ही लेकिन यह जो हमारा देश आये वर्ष बाढ़ों से तबाह होता रहता है और काफ़ी जान, माल का नुक्सान पहुंचता है उसके लिए इसी अधिवेशन में जोकि वर्षाकालीन अधिवेशन है भी, इस में बाढ़ की समस्या पर विशेष रूप से विस्तार से विचार हो जाना चाहिए और देश को इस से होने वाली भयंकर तबाही से बचाने के लिए उपाय सोचा जाना चाहिए।

Mr. Speaker: Bills to be introduced.

डा० राम मनोहर लोहिया : अध्यक्ष, महोदय, मैं चाहूंगा कि इसी सत्र में इस मामले पर बहस हो जाय।........

अध्यक्ष महोदय : आर्डर, आर्डर।

डा० राम मनोहर लोहिया : मैं बोल नहीं रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप बोल भी नहीं रहे हैं और आप की आवाज मुझे आ रही है।

WEALTH-TAX (AMENDMENT) BILL*

The Minister of Planning (Shri B. R. Bhagat): On behalf of Shri T. T. Krishnamachari, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Wealth-Tax Act, 1957.

Mr. Speaker: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Wealth-Tax Act, 1957."

The motion was adopted.

Shri B. R. Bhagat: I introduce† the Bill.

12.42 hrs.

MOTION OF NO-CONFIDENCE IN THE COUNCIL OF MINISTERS

Shri N. C. Chatterjee (Burdwan): Mr. Speaker, Sir, I beg to move the motion which stands in my name and for which leave had been given by the House on Monday last, namely:

"That this House expresses its want of confidence in the Council of Ministers."

Sir, I ought to say that I move this motion with the fullest sense of responsibility. We are constrained to move this motion because of the mounting misery of the common man in this country and the critical conditions to which this country has been brought in different spheres compel

---

*Published in the Gazette of India, Extraordinary—Part II, section 2, dated 11-9-1964.

†Introduced with the recommendation of the President.